न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :– 02/2022 **तारीख दायरा:–08.07.2022**

कुमरपाल पुत्र हरीराम जाति जाटव निवासी ग्राम खेरती तहसील नगर जिला डीग।

-----अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेरती पंचायत समिति नगर
2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नगर (डीग)।

-----रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री चरनसिंह चौहान वकील अपीलान्ट।

आदेश **दिनांक :–24.01.2025**

अपीलांट कुमरपाल द्वारा यह अपील नामांतरकरण संख्या 1027 ग्राम खेरती ग्राम पंचायत खेरती के निर्णय दिनांक 05.11.2014 से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि आ.ख.न. 519/0.16, 522/0.29, 868/0.17, 930/869/0.02 बाके ग्राम खेरती तहसील नगर जिस पर अपीलान्ट के हक मे राजस्व कर्मचारी व सरपंच ग्राम पंचायत खेरती ने सहवन व गलती से गैरकानूनी तरीके से विरासत दाखिल खारिज संख्या 1027 पर दर्ज कर दिया है, क्योकिं अपीलान्ट का सही नाम पटवारी हल्का को कुमरपाल पुत्र हरीराम जाति जाटव बताया था, लेकिन दाखिल खारिज खोलते समय अपीलान्ट का नाम राजेन्द्र कुमरपाल पुत्र हरीराम कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम कुमरपाल पुत्र हरीराम जाति जाटव है। जिसके सबूत मे राशनकार्ड, आधार कार्ड, 12 वी की मार्कसीट की फोटो प्रति पेश की है। अत अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 1027 दिनांक 5.11.2014 ग्राम पंचायत खेरती मे अपीलान्ट का नाम राजेन्द्र कुमरपाल पुत्र हरीराम के स्थान पर कुमरपाल पुत्र हरीराम जाति जाटव निवासी ग्राम खेरती तहसील नगर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट एवं विवादित मूल नामांतरकरण संख्या 1027 बाके ग्राम खेरती तहसील नगर से तलब किया गया। अवलोकन किया जाकर मूल नामांतरकरण पुन पटवारी हल्का को दिया जाकर प्रमाणित प्रति पत्रावली मे शामिल की गई।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं मूल नामा.स. 1027 दिनांक 05.11.2014 वाके ग्राम खेरती ग्राम पंचायत खेरती

उपखण्ड अधिकारी

का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। नामांतरकरण संख्या 1027 वाके ग्राम खेरली ग्राम पंचायत खेरली के सरपंच द्वारा दिनांक 05.11.2014 को निर्णित किया गया है। नामांतरकरण संख्या 1027 से मृतक किशनलाल की विरासत तथा मृतक हरीराम की विरासत खोली गई है। अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड तथा 10 वी की मार्कशीट मे नाम कुमरपाल पुत्र हरीराम अंकित है। तथा अपीलान्ट ने अपनी माता गोगा बेवा हरीराम व बहने शकुन्तला व मीरा पुत्री हरीराम जाति जाटव के शपथ पत्र मे अंकित किया है कि हमारे पति व पिता हरीराम की विरासत खोलते समय हमारे पुत्र व भाई कुमरपाल पुत्र हरीराम का नाम राजेन्द्र कुमरपाल पुत्र हरीराम गलती से दर्ज कर दिया है जबकि हमारे पुत्र व भाई का सही नाम कुमरपाल पुत्र हरीराम है और इसी नाम से जाना जाता है। तथा सरपंच ग्राम पचांयत खेरली ने प्रार्थी का सही नाम कुमरपाल पुत्र हरीराम होने के संबंध मे प्रमाण पत्र जारी किया है। इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः आदेश है कि–

अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण सं. 1027 निर्णय दिनांक 05.11.2014 ग्राम खेरली को हरीराम की हद तक निरस्त किया जाता है शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। तथा प्रकरण तहसीलदार नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हरीराम पुत्र किशनलाल के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर नामांतरकरण का विधिवत निस्तारण करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नगर को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को लिखाया जाकर खुले–न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24.1.25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)

फोन नं.—05641—243053
email id-sdm.nagar@gmail.com

क्रमांक / राजस्व / 25 / 75 दिनांकः— 24.03.2025

तहसीलदार
नगर।

विषयः— अपील संख्या 02 / 2022 वउनवानी कुमरपाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खेरली मे पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त उनवानी अपील दिनांक 24.01.2025 को निर्णय पारित कर नामांतरकण संख्या 1027 बाके ग्राम खेरली को हरीराम की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु आपको रिमाण्ड किया गया है। मूल नामांतरकरण संख्या 1027 बाके ग्राम खेरली एंव निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है प्रकरण मे निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नगर(डीग)